

**बिहार सरकार**  
**कृषि विभाग**

संचिका संख्या-2(गो0)सी0-1-2 / 2013-

कृ0, पटना, दिनांक-

2015

**संकल्प**

श्री धर्मवीर पाण्डेय, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) के विरुद्ध आय के अधिक संपत्ति अर्जित करने के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम-1988 के धारा 13 (2) पठित धारा 13 (1) ई० अन्तर्गत आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 21/2013 दिनांक-10.06.2013 दर्ज किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-164 दिनांक 18.06.2013 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, कार्यालय मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया।

उक्त आरोप में विभागीय संकल्प संख्या 484 दिनांक 31.12.2014 द्वारा श्री पाण्डेय के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही जारी है एवं जाँच प्रतिवेदन प्रतीक्ष्य है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री धर्मवीर पाण्डेय, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, मगध प्रमंडल, गया को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

श्री पाण्डेय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरांत निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय अलग लिया जाएगा।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा एक प्रति सभी संबंधित को भेज दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोद रजक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

, दिनांक

2015

**निबंधित**

**प्रतिलिपि:-** जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी/संयुक्त कृषि निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/श्री धर्मवीर पाण्डेय, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) सम्प्रति निलंबित /उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- /कृ०,पटना,दिनांक:- 2015  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना /वि०(वै०दा०नि०को०) वित्त विभाग, बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:- /कृ०,पटना,दिनांक:- 2015  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस (दो प्रतियों में),  
राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक /कृ०, पटना, दिनांक 2015  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त  
सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:- 40 /कृ०,पटना,दिनांक:- 10/02/2015 2015  
प्रतिलिपि:- आई०टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

  
10.02.15